Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited
Office of the Sr.Accounts Officer (H.Q.)
Shed No. 6, Jyoti Nagar, Janpath, Jaipur 302005
Phone No. 0141-2747039 Fax No. 0141-2747039

No. JPD/Sr.A.O.(H.Q.)/REV./F.475 /D.3155 Jaipur, dated: 13.2.08

ORDER

With a view to successful implementation of spot billing, position of receipt of compliance of SCOs, DCOs, RCOs and MCOs, particularly under FRP was also came for discussions in the meeting held recently with the AROs of Alwar & Bharatpur circles. During the discussions, it was pointed out by the AROs that due to non receipt of the aforesaid instruments timely, updation of consumer status is delayed or not updated for a long and leads to wrong billing with consumers grievances as well as.

This reveals that officers responsible to ensure compliance of order No.JPD-6/93 (copy enclosed for ready reference) are not serious and particular about it's implementation, which is a matter of serious concern. Since speedy and current updation of consumers status is a key element to ensure successful implementation of spot billing, it is therefore, enjoined upon all concerned that :-

(i) Compliance of order No.JPD6/93 (copy enclosed) be ensured strictly and action be initiated against the defaulters. Since cycle wise weekly billing is being replaced with daily spot billing, position of receipt of compliance may however be checked and verified in terms of number of items involved, compliance received upto dates, pendency of receipt of compliance after change of physical status of consumers etc.

(ii) Position of receipt of compliance of SCOS, DCOS, RCOs, MCOs etc. be monitored by the AENs concerned on weekly basis through the proforma enclosed as Annexure A.

(iii) Action be initiated against the person responsible where receipt of pending beyond a week of change of consumers status physically.

(iv) Ensure to receipt meter replaced under FRP promptly and also ensure to verify the readings of the meters removed from consumers premises.

Non compliance will be viewed seriously initiating stern action against the defaulters for loss of revenue to Nigam.

Encl:-As above.

(Anand Joshi)
Director (Finance)

Copy to the following for information & necessary action :-

1. The Chief Engineer (RP/Commercial), JPD, Jaipur.
2. The Zonal Chief Engineer (JZ), JPD, Jaipur.
3. The Addl. S.P.(Vig.), JPD, Jaipur.
4. The Superintending Engineer (   ), JPD, ________.
5. The Chief Accounts Officer, JPD, Jaipur.
6. The Executive Engineer (   ), JPD, ________ with 4 spare copies for AENs.
7. The Sr.Accounts Officer/Accounts Officer (O&M), JPD, ____
8. The T.A. to CMD, Jaipur Discom, Jaipur.

Sr. Accounts Officer(H.Q.)

Annexure – "A"

Sub-division __________ Sub Office ____ Reporting Date _______

S.No.	Particulars	Dates upto which compliance sent	Observations by the Sub-division	Particulars action initiated if any, in brief
1.	SCOs			
2.	DCOs			
3.	ROCs			
4.	MCOs (from the Sub-dn.			
5.	MCOs (under FRP)			

Certified that compliance made upto the date mentioned against item 1 to 5 is correct and sent to the Sub-division and no items is pending for want of compliance prior to the dates shown above.

Junior Engineer( )
JPD, ___________

जेपीडी –6/93

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

क्रमांक : मु.ले./राजस्व/सीसीसी/प.314/प्रे 372(15) दिनांक 28.2.03

–: आदेश :–

उप खण्डों का कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु यह अत्यन्त आवश्यक है कि कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा विद्युत सम्बन्ध विच्छेद आदेश, मीटर बदली आदेश तथा पुनः विद्युत सम्बन्ध आदेश तथा मीटर एवं सर्विस लाइन हटाने के आदेश इत्यादि की पालना समय से की जावे तथा सम्बन्धित आदेशों ,महत्वपूर्ण सूचनाओं व उपभोक्ता पत्रावलियों को अविलम्ब उपखण्डों को प्रेषित किया जाय ।

प्रचलित प्रणाली को संवादपूर्ण , सहयोगात्मक, सामन्जस्यपूर्ण एवं अधिक प्रभावी तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने हेतु निम्न आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किए जाते है ।

1. राजस्व उपखण्डों के सभी सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रत्येक माह की 5,13, 21 तथा 29 तारीख को अपने कक्ष में एक मीटिंग अनिवार्य रूप से आयोजित की जायेगी । अगर यह तिथी अवकाश या अपरिहार्य कारणों से उपयुक्त न हो तो मीटिंग अगले कार्य दिवस पर रखी जा सकती है परन्तु कारणों का उल्लेख अग्रलिखित रजिस्टर में अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा ।
2. इस मीटिंग में सहयक राजस्व अधिकारी तथा कनिष्ठ अभियन्ता अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे ।
3 सहायक राजस्व अधिकारी , कनिष्ठ अभियन्ताओं को भेजे गये पैरा प्रथम में वर्णित विषय वार तथा बिलिंग साइकिलवार भेजे गये , प्राप्त तथा बकाया मामलों के विवरण के साथ उपस्थित होंगे ।
4 इसी प्रकार कनिष्ठ अभियन्ता उपखण्ड से प्राप्त भेजे गये तथा बकाया मामलों के साथ उपस्थित होंगे जो विषयवार तथा बिलिंग साइकिलवार होगे ।
5. मीटिंग में सहायक राजस्व अधिकारी तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा प्रस्तुत अन्तर को जानकर सही स्थिती पर पहुँच जायेगा ।
6 बकाया उपभोक्ता पत्रावलियों का मिलान सर्विस कनेक्शन लिपिक द्वारा प्रदत्त सूचना तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार

पर किया जायेगा तथा अन्तर की स्थिती में सही स्थिती पर पहुंचा जायेगा ।

7 सहायक अभियन्ता द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता के पास बकाया पडें मामलों की गंभीरता से समीक्षा की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में होने वाली कठिनाइयों को जानकर उनके निवारण हेतु सभी संभव प्रयास किये जायेगें ।

8 मीटिंग का संक्षिप्त विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा जिसमें मीटिंग तिथी तथा उपस्थित अधिकारियों के नाम , पद , तथा हस्ताक्षर होगें ।

रजिस्टर में विषयवार , बिलिंग साइकिलवार विभिन्न कनिष्ठ अभियन्ताओं को भेजे गये प्राप्त, निस्तारित तथा बकाया पडे मामलों का संख्यात्मक रिकार्ड रखा जायेगा तथा कनिष्ठ अभियन्ताओं को भेजी गई प्राप्त व बकाया पडी उपभोक्ता पत्रावलियों व महत्वपूर्ण सूचनाओं का भी संख्यात्मक विवरण दर्ज किया जायेगा ।

आदेशों की अनुपालना अधिशाषी अभियन्ता , आन्तरिक अंकेक्षण दलों तथा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा अनुपालना न करने वाले अधिकारियों के नाम निगम मुख्यालय को प्रेषित किए जायेंगे ।

(सी.एन. शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक 27/2/03

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 निदेशक , ज.वि.वि.नि.लिमिटेड, जयपुर
2 वित्तीय सलाहकार एवं लेखानियन्त्रक ज.वि.वि.नि. लि., जयपुर
3 उपमुख्य अभियन्ता (प.एवं सं.) ज.वि.वि.नि. लि., जयपुर
4 उपमुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) ज.वि.वि.नि. लि., जयपुर
5 अधीक्षण अभियंता (प.एवं सं)————— ज.वि.वि.नि. लि.,
6 वरिष्ठ लेखाधिकारी / लेखाधिकारी ————— ज.वि.वि.नि. लि., —————
7 अधिशाषी अभियन्ता (प.एवं.स.) ज.वि.वि.नि. लि., —————को अतिरिक्त प्रतियों के साथ अपने अधीनस्थ उपखण्डों में वितरण सुनिश्चित करवाने हेतु ।

(ए.के.जैन)
मुख्य लेखाधिकारी
जयपुर विद्युत वितरण निगम लमिटेड